(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./17/2475 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–6–2017 व 15–6–17 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण क्रमांक 113/अ–12/2016–17.

1–गोरख यादव आ0 श्री दीनदयाल यादव
2–किरन यादव पत्नी श्री गोरख यादव
दोनों निवासी 60–सी,अशोका गार्डन, सुन्दर नगर
भोपाल थाना अशोका गार्डन भोपाल
3–मदनलाल आ0 श्री परसराम
निवासी ग्राम डंगरोली तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमति गीता ठाकुर पत्नी श्री विजय सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम खजूरी खुद, रायसेन रोड,
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री एम0एल0रघुवंशी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओमप्रकाश सक्सैना, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2017 व 15–6–17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा ग्राम नरोन्हा सांकल स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 709 रकबा 0.250 हेक्टेयर का सीमांकन किये जाने हेतु संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा दिनांक 10–6–17 व 15–6–17 को आदेश पारित प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन एकपक्षीय रूप से किया जाकर विधि प्रकियाओं व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कोई भी सूचना आवेदकगण को नहीं दी जाकर उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है और आवेदक के कब्जे की भूमि से आवेदक को बेदखल करना चाहते हैं जबकि आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था और उनकी उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही करना चाहिये थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के विपरीत जाकर सीमांकन की कार्यवाही की गई है जो निरस्त की जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी निराधार होने से निरस्त की जाये।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को नोटिस तामील नहीं हुआ है । यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में संलग्न फील्डबुक में कब्जे की जगह नहीं दर्शाई गई है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित

सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिवत् फील्डबुक तथा नक्शा आदि तैयार कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2017 व 15–6–17 के निरस्त किये जाते हैं । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण तहसील न्यायालय को उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिवत् फील्डबुक तथा नक्शा आदि तैयार कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.